उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा विभाग
अनुभाग– 5

अधिसूचना

दिनांक अप्रैल, 2010

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 मे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को संपादित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तर प्रदेश बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010

भाग–एक – प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक, नाम एवं प्रसार

1 **(1)** यह नियमावली **''उत्तर प्रदेश बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010''** कही जाएगी।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(3) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएँ

2 **(1)** जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) **''राज्यपाल''** का तात्पर्य उ0प्र0 के राज्यपाल है।

(ख) **''राज्य''** का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश राज्य।

(X) **''सरकार''** का तात्पर्य उ0प्र0 शासन है।

(घ) **''अधिनियम''** का तात्पर्य बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है।

(ङ) **''आगँनवाड़ी''** का तात्पर्य भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित आगँनवाड़ी केन्द्र है।

(च) **''नियत तिथि''** का तात्पर्य उस तिथि से है जब सरकारी गजट में अधिसूचित होकर अधिनियम प्रवृत्त होगा।

(छ) **''अध्याय'', ''धारा''** एवं **अनुसूची''** का तात्पर्य क्रमशः अधिनियम के अध्याय, धारा (की,के) एवं अनुसूची से है।

(ज) **''बच्चा''** का तात्पर्य है 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा (बालक या बालिका)।

(झ) **''अपवंचित वर्ग के बच्चे''** का तात्पर्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों से है।

(ञ) **''कमजोर वर्ग के बच्चे''** का तात्पर्य बी0पी0एल0 श्रेणी के अभिभावकों के बच्चों से है।

(त) **''विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय''** का तात्पर्य केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, सरकारो उपक्रम के विद्यालय से है।

(थ) **''पडौस''** का तात्पर्य है विद्यालय से एक निर्धारित दूरी का आबादी क्षेत्र।

(द) **''छात्र क्रमागत अभिलेख''** का तात्पर्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर बच्चे की प्रगति का अभिलेख।

(ध) **''विद्यालय मानचित्रण''** का तात्पर्य है भौगोलिक दूरी और सामाजिक विभेद को दूर करने के लिए विद्यालय के स्थान का नियोजन ।

(न) **''स्थानीय प्राधिकारी''** का तात्पर्य यथास्थिति जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से है।

(प) **''निदेशक''** का तात्पर्य यथास्थिति शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा से है।

(फ) **''विशिष्टीकृत मानक''** का तात्पर्य अनुसूची में निर्धारित मानकों से है।

(ब) **''जिलाधिकारी''** का तात्पर्य है जनपद का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी।

(भ) **''जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी''** का तात्पर्य बेसिक शिक्षा के जनपद स्तरीय अधिकारी से है।

(2) अन्य समस्त शब्द एवं भाव जो इस नियमावली में प्रयोग किये गये हैं और परिभाषित हैं उनका क्रमशः वही तात्पर्य होगा जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है।

भाग–दो

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

3 **(1)** भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 6–14 वयवर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक उसके पडोस के विद्यालय में, जसा कि नियम 5 (1) में विहित किया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी

(2) 6 वर्ष से अधिक आयु के विद्यालय कभी न गये अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय प्रबन्ध समिति/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित करके पड़ौसी विद्यालय में उनकी आयु सापेक्ष कक्षा में प्रवेश दिलाया जायेगा तथा उनके सीखने के स्तर का मूल्यांकन करके आवश्यकतानुसार उनके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित तरीके से की जायेगी :–

(अ) विशेष प्रशिक्षण विशेष रूप से निर्मित तथा राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित की गई आयु सापेक्ष अधिगम सामग्री पर आधारित होगा।

(आ) उक्त विशेष प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में कक्षायें संचालित करके प्रदान किया जायेगा।

(इ) उक्त विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत् अध्यापकों द्वारा दिया जायेगा।

(ई) उक्त विशेष प्रशिक्षण की अवधि कक्षा–2 एवं 3 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के संदर्भ में न्यूनतम 03 माह होगी, जिसमें सीखने की प्रगति (लर्निंग प्रोग्रेस) के सावधिक मूल्यांकन के आधार पर वृद्वि की जा सकेगी परन्तु उक्त वृद्वि के फलस्वरूप प्रशिक्षण की अधिकतम सीमा 2 वर्ष से अनधिक होगी।

(3) बच्चे उपयुक्त आयुवर्ग के अनुसार कक्षा में नामांकित किये जायेंगें, विशेष प्रशिक्षण के पश्चात बच्चे का अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान रखा जायेगा ताकि वह बच्चा कक्षा के अन्य बच्चों के साथ शैक्षिक एवं भावनात्मक रूप से सफलतापूर्वक जुड़ सके।

भाग– तीन

राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व

4 **(1)** जनपद स्तरीय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नवत् पड़ौसी क्षेत्र/सीमा के अंतर्गत विद्यालय की स्थापना की जायेगीः–

(अ) कक्षा 1 से 05 तक के बच्चों के संदर्भ म पड़ौस की 1½ किमी की पैदल दूरी के भीतर विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(ब) कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संदर्भ में पड़ौस की 3 किमी की पैदल दूरी के भीतर विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) कक्षा 1–5 तक के स्थापित विद्यालयों को यथा आवश्यकता कक्षा 6–8 तक राज्य सरकार उच्चीकृत करेगी। कक्षा 6–8 तक के स्थापित विद्यालयों में कक्षा 1–5 तक की कक्षायें भी प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार यथा आवश्यकता प्रयास करेगी।

(3) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में 6–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या क आधार पर एक से अधिक पड़ोसी विद्यालय की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) स्थानीय प्राधिकारी (यथा स्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) पड़ोसी विद्यालय (विद्यालयों) को चिन्हित करेंगे जहां बच्चे को प्रवेश दिलाया जा सके तथा प्रत्येक बस्ती के लिये अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करेंगे।

(5) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से स्थानीय प्राधिकारी विकलांगता के कारण विद्यालय पहुंच में बाधा का सामना करने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय पहुंचने के लिये उपयुक्त एवं सुरक्षित आवागमन के साधनों की व्यवस्था करेंगें, जिससे वे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय पहुंच सके।

(6) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण बच्चों को विद्यालय पहुँचने में कोई बाधा न आये।

राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

5 (1) धारा 2 (एन) (i) में संदर्भित राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे, धारा 2 (एन) (ii) में संदर्भित विद्यालय में धारा 12 (i) (बी) के सापेक्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे एवं धारा 2 (एन) (iii) एवं (iv) में संदर्भित विद्यालयों में धारा 12 (i) (सी) के सापेक्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने के अधिकारी होंगें।

परन्तु विकलांगतायुक्त बच्चे को विशेष अधिगम एवं सहायक सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

विशेषः धारा 12 (1) (बी) एवं धारा 12 (1) (सी) के सापेक्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे के लिए उपरोक्त निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 (एन) (ii) एवं धारा 2 (एन) (iii) एवं (iv) में संदर्भित विद्यालयों का होगा।

(2) पड़ोसी विद्यालय की सुलभता एवं स्थापना के उद्देश्य से, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विद्यालय मानचित्रण कर दूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, अपवंचित वर्ग के बच्चों, कमजोर वर्ग के बच्चों तथा धारा–4 में संदर्भित श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन अधिनियम के प्रवृत्त होने की एक वर्ष की अवधि में अथवा दिनांक 31 मार्च 2011, जो भी पहले हो तक, करा लिया जायेगा तथा यह प्रक्रिया आगामी प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 जून तक संपादित की जायेगी।

(3) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय में किसी बच्चे के साथ जाति, वर्ग, धर्म एवं लिंग आधारित भेद न किया जाये।

(4) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कक्षा कक्ष में, मध्यान्ह भोजन के समय, खेल के मैदान में, सार्वजनिक पेयजल एवं प्रसाधन सुविधाओं के प्रयोग में एवं शौचालय अथवा कक्षा–कक्ष की सफाई में कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों के साथ कोई विभेदकारी अथवा अलगाववादी व्यवहार न किया जाये।

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बच्चों से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव

6 (1) अपने क्षेत्र के समस्त बच्चों का जन्म से 14 वर्ष की आयु तक का अभिलेख हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से

स्थानीय प्राधिकारी (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) द्वारा रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक बच्चे को एक यूनीक आडेन्टिरी नंबर आबंटित किया जायेगा उसका उपयोग बच्चे का नामांकन, उपस्थिति, सम्प्रति एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का अनुश्रवण करने के लिए किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) में उल्लिखित उपरोक्त अभिलेख प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जायेगा।

(4) उप नियम (1) में उल्लिखित अभिलेख का रखरखाव इस प्रकार से होगा कि वह जनसाधारण की पहुँच में हो एवं उपरोक्त अभिलेख का उपयोग स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक बच्चे के विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्ति को सुनिश्चित करने एवं उसका निरन्तर अनुश्रवण करने के लिए किया जायेगा।

(5) उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे के अभिलेख में निम्नवत् विवरण विहित प्रपत्र पर रखा जायेगा।

(क) नाम, लिंग, जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र का क्रमांक), जन्मस्थान।

(ख) माता, पिता/अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र जहाँ 6 वर्ष की आयु तक बच्चा रहा है

(घ) प्रारम्भिक विद्यालय जहां बच्चे ने प्रवेश लिया।

(ङ) बच्चे का वर्तमान पता।

(च) कक्षा जिसमें बच्चा पढ़ रहा है।

(छ) यदि स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 6–14 वयवर्ग के किसी बच्चे ने शिक्षा अधूरी छोड़ दी है तो उसका कारण सहित विवरण

(ज) अधिनियम की धारा 2 **(ई)** के अन्तर्गत यदि बच्चा कमजोर वर्ग का है तो उसका विवरण।

(झ) अधिनियम की धारा 2 (डी) के अन्तर्गत यदि बच्चा अपवंचित वर्ग का है, तो उसका विवरण।

(ञ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रवजन अथवा कम जनसंख्या के सापेक्ष प्रभावित बच्चे, आयु सापेक्ष प्रवेश लेने वाले बच्चे तथा विकलांगतायुक्त बच्चे, जिन्हें विशेष सुविधायें उपलब्ध कराई जानी है, का विवरण।

(6) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे के नाम प्रत्येक विद्यालय द्वारा जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहें।

भाग–चार

विद्यालय एवं अध्यापकों का उत्तरदायित्व

आर्थिक रूप से कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन के सम्बन्ध में।

7 **(1)** धारा 2 (एन) (।।।) एवं धारा 2 (एन) (iv) में संदर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगें कि धारा 12 (1) (सी) के परिप्रेक्ष्य में नामांकित बच्चों को कक्षा में दूसरे बच्चों से अलग नहीं किया जायेगा और इन बच्चों के लिये कक्षा–कक्ष का स्थान एवं समय अन्य बच्चों की कक्षा से अलग नहीं होगा।

(2) धारा 2 (एन) (iii) एवं धारा 2 (एन) (iv) में संदर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगें कि बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं जैसे–निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय एवं आई0सी0टी0 सुविधा, पाठ्य सहगामी क्रियाये, खेलकूल के सम्बन्ध में धारा 12 (1) (सी) के परिप्रेक्ष्य में नामांकित बच्चों के प्रति कक्षा के अन्य बच्चों से किसी प्रकार का विभेद न किया जाये।

(3) पडौसी विद्यालय के संबंध में नियम 4 (1) में निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा सीमायें धारा 12 (1) (सी) के परिप्रेक्ष्य में हुये नामांकन के संबंध में भी लागू होंगी,

परन्तु धारा 12 (1) (सी) में संदर्भित बच्चों के लिये सीटों का अपेक्षित प्रतिशत भरने के प्रयोजन के लिये विद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ इन सीमाओं का विस्तारित कर सकते हैं।

(4) स्थानीय (ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों की नामवार सूची एवं विवरण रखेगा।

धारा 12 (1) (बी) के प्रयोजन हेतु बच्चों का प्रवेश तथा धारा 12 (2) के प्रयोजन हेतु प्रति बच्चा व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति

8 **(1)** धारा 12 (1) (बी) में संदर्भित बच्चों का प्रवेश पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। संदर्भित बच्चों द्वारा विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन देने पर उनका पूर्ण विवरण जिसमें उनका नाम, पता, लिंग,जाति, जन्मतिथि, पिता/माता/अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय, एवं मासिक आय बच्चा यदि कमजोर या अपवंचित वर्ग का है तो उसका विवरण एवं आवेदन प्राप्ति की तिथि को अभिलिखित किया जायेगा तथा उक्त विवरण को वेबसाइट पर प्रदर्शित करके सार्वजनिक किया जायेगा। बच्चों का प्रवेश प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्वांत पर किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियंत्रित समस्त विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमद पर किये गये कुल वार्षिक आवर्ती व्यय को उपरोक्त प्रकार के सभी विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर को नामांकित बच्चों की कुल संख्या से विभाजन के फलस्वरूप उपलब्ध धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चा किया गया व्यय माना जायेगा।

व्याख्या – धारा 2 (एन) (ii) में निर्दिष्ट विद्यालया के संबंध में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये गये व्यय को, प्रति बच्चा व्यय निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) धारा 2 (एन) (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उप धारा (2) के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु पाप्त धनराशि के लिये बैंक में अलग खाता संचालित करेगा।

(4) उपरोक्त नियम 8 (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय प्रतिपूति प्राप्त करने हेतु बच्चों की सूची एवं विद्यालय द्वारा किये गये व्यय का मदवार उल्लेख करते हुए समस्त वांछित विवरण साक्ष्य सहित निदेशक, बेसिक द्वारा विहित प्रपत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत करेगा।

परन्तु ऐसे विद्यालय, जो किसी रूप मे निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर

भूमि/भवन/उपकरण अथवा कोई अन्य सुविधा प्राप्त करने के कारण निर्धारित संख्या के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्व हैं वे, उस वचनबद्वता की सीमा तक किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे।

(5) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवश्यक परीक्षण एवं निरीक्षण कराने के बाद देय प्रतिपूर्ति धनराशि नियम 8 (3) में उल्लिखित खाते में स्थान्तरित करेगा तथा उक्त संबंधी विवरण को जनसाधारण के संज्ञान हेतु वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करेगा।

(6) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जायेगा कि विद्यालय द्वारा किसी तथ्य को छुपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति लो गई है तो ऐसी ली गई प्रतिपूर्ति की दुगनी राशि विद्यालय द्वारा राजकोष में वापिस करनी होगी। साथ ही विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण के संबंध में भी कार्यवाही की जा सकती है।

आयु प्रमाणपत्र सम्बन्धी अभिलेख

9 जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र अधिनियम 1886 के अन्तर्गत यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्यालय में बच्चों के नामांकन के उद्देश्य से आयु के प्रमाणन हेतु निम्न में से कोई भी अभिलेख मान्य होगा।

(क) अस्पताल/एन0एन0एम0 का रजिस्टर अभिलेख

(ख) आंगनबाड़ी का अभिलेख

(घ) ग्राम पंजिका

(ग) अभिभावक या बच्चे के माता–पिता द्वारा बच्चे की आयु के सम्बन्ध में शपथपत्र द्वारा की गयी घोषणा

विद्यालय में नामांकन के लिये विस्तारित अवधि

10 (1) विद्यालय का शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से 3 माह की अवधि तक अर्थात् सत्र प्रारम्भ होने के बाद पड़ने वाली आगामी दिनांक 30 सितम्बर तक की अधिकतम विस्तारित अवधि तक बच्चे का नामांकन किया जा सकेगा।

(2) उपरोक्त विस्तारित अवधि के पश्चात यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित होता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित विशेष शिक्षण की सहायता से वह बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करने का पात्र होगा।

विद्यालयों की मान्यता

11 (1) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व से स्थापित प्रत्येक विद्यालय अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित स्तर एवं मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में तथा निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति की

स्थिति के संबंध में अधिनियम लागू होने के 3 माह की अवधि के अन्दर सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो धारा 18 के अंतर्गत इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी होगा, के समक्ष निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा इस हेतु विहित प्रपत्र पर स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगाः–

(अ) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 की धारा 21) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।

(ब) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ हेतु संचालित नहीं हो रहा है।

(स) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित है।

(द) विद्यालय भवन या अन्य ढांचागत सुविधायें या प्रांगण, दिन में या रात में, व्यावसायिक या आवासीय (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आावास के उद्देश्य को छोड़कर) उद्देश्यों से अथवा राजनैतिक या किसी प्रकार को अशैक्षिक गतिविधियों के लिये प्रयुक्त नहीं हो रहा है।

(य) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है।

(र) विद्यालय ऐसे समस्त विवरण एवं सूचनायें उपलब्ध करायेगा जो समय–समय पर स्थानीय प्राधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा निदेशक अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा मांगी जायेगी। साथ ही विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने अथवा मान्यता की शर्तों की अनवरत पूर्ति को सुनिश्चित रखने हेतु राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(ल) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 एवं अनुसूची में निहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

(व) विद्यालय अधिनियम तथा तद्न्तर्गत निर्मित नियमावली के समस्त प्रावधानों का पालन करेगा।

(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त प्रत्येक स्वघोषणापत्र को, प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर वेबसाइट पर प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।

(3) ऐसे विद्यालय, जिनके द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र पर भर कर दिये गये स्वघोषणापत्र में यह दावा किया गया हो कि उनके द्वारा समस्त निर्धारित मानक एवं स्तर तथा उपनियम (1) में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली गई है, का स्थलीय निरीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय का स्वघोषणापत्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर करा लिया जायेगा।

(4) उपनियम (3) में उल्लिखित निरीक्षण के पश्चात् विद्यालयों की निरीक्षण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनसाधारण के अवलोकनार्थ सार्वजनिक की जायेगी तथा निर्धारित मानक, स्तर एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को निरीक्षण की तिथि के 30 दिन के अन्दर मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

(5) उप नियम (1) में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों को जो विद्यालय पूरा नहीं करते हैं उनकी सूची एक सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जारी करेंगें तथा उसको वेबसाइट पर भो प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसे विद्यालय सूची/आदेश निर्गत होने के ढाई वर्ष के अन्दर विद्यालय की मान्यता के लिये जिला शिक्षा अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकते है।

(6) जो विद्यालय अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष बाद भी उप नियम (1) में उल्लिखित शर्तों, मानकों एवं प्रतिबन्धों को पूरा नहीं करते हैं उनका संचालन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(7) अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वधारित अथवा नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर शेष प्रत्येक विद्यालय द्वारा मान्यता के लिए अर्ह होने हेतु उपनियम (1) में उल्लिखित मानकों, स्तर एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।

(8) राज्य सरकर अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद स्थापित होने वाले शेष समस्त विद्यालयों को उपनियम (1) में उल्लिखित मानकों, स्तर एवं प्रतिबंधों की पूर्ति के संबंध में उपनियम (1) में उल्लिखित प्रपत्र पर स्वघोषणापत्र विद्यालय के संचालन के पूर्व देना होगा। तथा ऐसे विद्यालयों के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपनियम (2) (3) एवं (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(9) उपरोक्त उपनियम (8) में उल्लिखित विद्यालय मान्यता आदेश प्राप्त करने के बाद ही विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर सकेगा।

(10) उपनियम (4) एवं उपनियम (8) में उल्लिखित प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता पंजीकरण संख्या आबंटित की जायेगी।

(11) प्रत्येक विद्यालय की मान्यता के संबंध म संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को सूचना दी जायेगी साथ ही मान्यताप्राप्त करने वाले विद्यालय का नाम वेबसाइट पर भी सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

विद्यालयों की मान्यता का प्रत्याहरण

12 **(1)** जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं, या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर अभिलिखित कारणो से संतुष्ट है कि नियम 11 के अन्तर्गत मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एकाधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगीः–

(अ) विद्यालय द्वारा मान्यता की जिस शत का उल्लघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अन्दर स्पष्टीकरण देने संबंधी नोटिस निर्गत किया जायेगा।

(ब) निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है तो उक्त प्रकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी के सम्मुख सात दिन की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला अधिकारी आगामी सात दिन की अवधि में एक 03 सदस्यीय समिति, जिसमें शासकीय

प्रतिनिधियों के साथ ही एक शिक्षाविद् भी सम्मिलित होगा, गठित करगा, जिसके द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। समिति विद्यालय की जांच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या समिति के गठन के 20 दिन की अवधि में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(स) समिति की आख्या को अपनी टिप्पणी के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (जैसी स्थिति हो) को 10 दिन में प्रेषित करेगा।

(2) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (जैसी स्थिति हो) सम्बन्धित विद्यालय को 10 दिन के अंदर पत्र भेजकर विद्यालय को अपना स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र प्रेषण के बाद 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर अपनी संस्तुति राज्य के शिक्षा विभाग को 01 माह की अवधि में भेजेगा।

(3) उपनियम (2) में उल्लिखित संस्तुति प्राप्त हाने के 30 दिन के अंदर उक्त संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार निर्णय लेगी तथा उक्त निर्णय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगी।

(4) राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का आदेश निर्णय प्राप्ति के 07 दिन के अंदर निर्गत करेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पडौसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालय के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदश को संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

भाग– पाँच

विद्यालय प्रबन्धन समिति

विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन एवं कार्य

13 **(1)** विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त सभी विद्यालयों में 30 सितम्बर, 2010 तक किया जायेगा एवं प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुर्नगठन किया जायेगा।

(2) विद्यालय प्रबन्धन समिति में 12 सदस्य होंगे जिनमे से 09 सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक/माता पिता होगें।

परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होंगी।

(3) विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 3 सदस्यों में निम्न व्यक्ति होंगेः–

(अ) एक सदस्य स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित व्यक्तियों में से स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार चयनित किया जायेगा।

(ब) एक सदस्य विद्यालय के शिक्षकों में से लिया जाएगा जिसका निर्णय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा

किया जायेगा।

(स) अवशेष एक सदस्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। जो सदस्य सचिव होगा। प्रधान अध्यापक के अभाव में विद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य सचिव का कार्य करेगा।

(4) विद्यालय प्रबंधन समिति के अभिभावक सदस्यां में से एक–एक सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चे के माता/पिता अथवा अभिभावक होंगे।

(5) विद्यालय प्रबंधन समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन आम सहमति से किया जायेगा परन्तु प्रतिबंध यह है कि विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा के कम से कम एक बच्चे के अभिभावक का प्रतिनिधित्व समिति में अवश्य होगा।

(6) विद्यालय प्रबन्धन समिति के संचालन हेतु समिति के अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन किया जायेगा।

(7) विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी जिसमें लिए गये निर्णय एवं बैठक का कार्यवृत्त विधिवत् लिखा जाएगा एवं सार्वजनिक किया जायेगा।

(8) विद्यालय प्रबन्धन समिति विद्यालय के कार्यो के अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति एवं सरकार, स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतो से विद्यालय को प्राप्त धनराशि के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कार्य भी करेगी जिनके लिए वह अपने सदस्यों में से छोटे कार्य समूहों का गठन कर सकती है–

(क) समिति सरल एवं रचनात्मक तरीके से अधिनियम में विहित बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिकार एवं माता–पिता, अभिभावकों, स्थानीय प्राधिकारी एवं राज्य सरकार के उत्तर दायित्वों के विषय में विद्यालय के आस पास की आबादी को अवगत करायेगी।

(ख) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 24 (ए) एवं (सी) तथा धारा 28 के अनुपालन हेतु विद्यालय में अध्यापकों द्वारा नियमित उपस्थिति एवं समयानुपालन हो तथा अध्यापकों द्वारा बच्चों के माता पिता एवं, अभिभावकों के साथ नियमित बैठकों में बच्चों की नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता एवं प्रगति एवं बच्चे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के सबंध में संवाद हो एवं कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण गतिविधि में लिप्त न हो।

(ग) समिति अधिनियम की धारा 27 के अनुपालन हेतु यह अनुश्रवण करेगी कि कोई भी शिक्षक जनगणना, आपदाराहत अथवा स्थानीय निकाय विधान मंडल अथवा लोकसभा के चुनाव संबंधी दायित्व के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षिक कार्य में न लगाया जाये।

(घ) समिति विद्यालय के सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेगी।

(च) समिति विद्यालय द्वारा अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित स्तर एवं मानक के अनुपालन का अनुश्रवण करेगी।

(छ) यदि बच्चे के अधिकार का किसी भी रूप में हनन हो रहा हो यथा नामांकन स वंचित करना, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना, किसी प्रकार का शुल्क लेना, बच्चा धारा 3 (2) के अन्तर्गत जिन निःशुल्क सुविधाओं हेतु अधिकृत है उनको समय से उपलबध न कराया जाना, तो समिति स्थानीय अधिकारियों को अवगत करायेगी।

(ज) यदि बच्चे की आयु 6 वर्ष से अधिक है और उसका नामांकन नही हुआ है तो उसकी आयु के सापेक्ष अधिगम सम्प्राप्ति के लिए विशेष प्रशिक्षण सम्बन्धो आवश्यकताओं का चिन्हांकन, योजना निरूपण एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

(झ) विशेष आवश्यकतावाले बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन तथा उनके लिए प्रावधानित सुविधाओं की व्यवस्था सहभागिता एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूरा होने का अनुश्रवण करेगी।

(त) विद्यालय मे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का अनुश्रवण करेगी।

(थ) विद्यालय की वार्षिक आय एवं व्यय के लेखे का अनुश्रवण करेगी।

(9) विद्यालय प्रबन्ध समिति को अपने उत्तर दायित्वों के निष्पादन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा मे दर्ज किया जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक आडिट हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उपरोक्त बिन्दु 7 में वर्णित लेखा एवं आय व्यय के विवरणों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे। वार्षिक रिपोर्ट तैयार होने के एक माह के भीतर स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

विद्यालय विकास योजना का निर्माण

14 (1) समिति विद्यालय विकास योजना का निरूपण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से न्यूनतम तीन माह पूर्व कर लेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्ष की बनायी जायेगी जिसकी उप योजना के रूप में तीन वार्षिक योजनाएं होगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नवत विवरण होंगे।

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित कक्षावार नामांकन

(ख) विशिष्टीकृत मानको के अनुरूप कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए पृथक–पृथक अध्यापक, (प्रधान अध्यापक सहित) अतिरिक्त शिक्षक, विषय शिक्षक, अंशकालिक शिक्षकों की तीन वर्ष तक की अपेक्षित संख्या का विवरण

(ग) विशिष्टीकृत मानकों के अनुरूप तीन वर्षो में अतिरिक्त भौतिक आवश्यकताओं (भवन, उपकरण संबंधी) का विवरण।

(घ) उपरोक्त (ख) एवं (ग) में इंगित आवश्यकताओं के अतिरिक्त बच्चों हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं आयुसापेक्ष कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण की

व्यवस्था हेतु 03 वर्ष के लिए वांछित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का वर्षवार विवरण होगा, जिसमें अन्य वित्तीय संसाधन, जो अधिनियम में उल्लिखित दायित्वों की पूर्ति हेतु विद्यालय के लिए अपेक्षित होंगें, का विवरण भी सम्मिलित होगा।

(4) विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित हो कर स्थानीय प्राधिकारी के पास उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत कर दी जायेगी जिसमें वह निरूपित की गयी है।

भाग– छः
अध्यापक

शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता

15 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सस्था द्वारा शिक्षकों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारा 2 (एन) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों पर प्रभावी होगी।

न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट

16 (1) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लाग् होने के 6 माह के अन्दर धारा 2 (एन) में निर्दिष्ट राज्य के समस्त विद्यालयों हेतु अनुसूची में उल्लिखित मानकों के अनुसार अपेक्षित अध्यापकों की संख्या का आगणन दिनांक 30 सितम्बर, 2010 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(2) यदि उपनियम (1) के अनुसार आगणित संख्या में निर्धारित अर्हताधारी शिक्षक उपलब्ध न हो तो राज्य सरकार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट के सम्बन्ध में भारत सरकार से दिनांक 31 मार्च, 2011 तक अनुरोध करेगी।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत उल्लिखित राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध पर केन्द्र सरकार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट दिये जाने की अधिसूचना जारी किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(4) किन्तु यह छूट अधिनियम लागू होने के अधिकतम 5 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2015 तक ही रहेगी। इस अवधि में ही छूट की शर्तों के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक को नियम 15 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करनी होगी।

(5) उपरोक्त उपनियम (3) में उल्लिखित अधिसूचना के अभाव में दिनांक 30 सितम्बर, 2010 के बाद नियम 15 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूर्ण न करने वाले किसी व्यक्ति को किसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का उपार्जन

17 (1) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन एवं नियत्रित विद्यालयों तथा विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों के वे समस्त अध्यापक, जो उपरोक्त नियम 15 में निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं, द्वारा अधिनियम के लागू होने क 5 वर्ष के अंदर उक्त निर्धारित अर्हता प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था से शिक्षक प्रशिक्षण की क्षमता वृद्वि एवं दूरस्थ माध्यम से

शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यक सुविधा हेतु अनुरोध करेगी तथा अपेक्षानुसार उक्त सुविधाओं का अनुमोदन प्राप्त होने पर ऐसे समस्त अध्यापकों के प्रशिक्षण का उपक्रम करेगी।

(2) निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित सहायता प्राप्त एवं असहायता प्राप्त विद्यालयों के जो शिक्षक उपरोक्त नियम 15 में निर्धारित अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं, उनके संबंध में, उस संबंधित विद्यालय का प्रबंध तंत्र अधिनियम के पारित होने के पांच वर्ष के अंतर्गत ऐंसे शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने का अवसर देगा।

शिक्षकों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्ते

18 विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्ते संबंधित सेवानियमावली से शासित होंगी।

अध्यापकों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्य

19 (1) विद्यालय में समय से एवं नियमित उपस्थिति, नियमित शिक्षण कार्य तथा निर्धारित अवधि में पाठयक्रम पूर्ण करने के संबंध में शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी एवं विद्यालय प्रबंध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(2) शिक्षक प्रत्येक बच्च की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, उसकी सीखने की क्षमता तथा प्रगति का अनुश्रवण करेगा।

(3) शिक्षक विद्यालय पबंधन समिति के कार्यों के निर्वहन में यथापेक्षित सहयोग देगा।

(4) स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्रान्तर्गत समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने में शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी को यथापेक्षित सहयोग देगा।

(5) बच्चे की ज्ञान की समझ एवं ज्ञान के अनुप्रयोग में उसकी क्षमता की जांच एवं सतत् मूल्यांकन हेतु शिक्षक प्रत्येक बच्चे का छात्र संचयी अभिलेख हेतु प्रोफाइल तैयार करेगा तथा उसके आधार पर बच्चे को कक्षा की पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(6) इसके अतिरिक्त नियमित शिक्षण कार्य बाधित किये बिना शिक्षक द्वारा निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित किये जायेंगें :–

(अ) प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना

(ब) पाठ्यचर्या की संरचना, पाठ्यक्रम का विकास , प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्य पुस्तकों के विकास में प्रतिभाग करना।

शिक्षकों के समस्या निवारण की व्यवस्था

20 शिक्षकों के समस्या निवारण की व्यवस्था धारा 21 के अन्तर्गत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के स्तर पर होगी।

प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात सुनिशिचित करना

21 (1) जिला अधिकारी अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत शिक्षक संख्या अधिनियम के प्रवृत्त होने के तीन माह के अन्दर अर्थात् दिनांक 30 जून, 2010 तक अधिसूचित करेगा। उक्त अधिसूचना जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा विद्यालय की निर्धारित शिक्षक संख्या सम्बन्धित विद्यालय को एवं संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भी सूचित की जायेगी।

साथ ही, उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना के जारी होने के 03 माह के अंदर जिला अधिकारी उन विद्यालयों के अध्यापकों का समायोजन करेगा जहाँ उपरोक्त अधिसूचना जारी होने के पूर्व अध्यापकों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक रही हो।

(2) जिला अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के पूर्व निर्धारित छात्र अध्यापक अनुपात को बनाये रखने हेतु विद्यालय की निर्धारित शिक्षक संख्या का पुनरीक्षण करेगा तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों का समायोजन किया जायेगा।

(3) अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित छात्र अध्यापक अनुपात को बनाये रखने के उद्देश्य से किसी विद्यालय में पदस्थित कोई अध्यापक किसी अन्य विद्यालय, कार्यालय अथवा किसी अशैक्षणिक गतिविधि, जो दशकीय जनगणना, आपदा राहत कार्य अथवा लोकसभा विधान मंडल या स्थानीय निकाय संबंधी चुनाव कार्य से इतर हो, में नहीं लगाया जायेगा।

(4) यदि कोई शिक्षक निजी शिक्षण अथवा प्राइवेट ट्यूशन में लिप्त पाया गया तो संबंधित सेवानियमावली के प्रावधान के अनुसार उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भाग–सात

पाठ्यक्रम और प्रारम्भिक शिक्षा को पूर्ण किया जाना

22 (1) प्रारम्भिक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन विधि का निर्धारण राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जायेगा।

(2) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पाठयचर्या और मूल्यांकन विधि को निरूपित करते समय निम्नलिखित कार्य भी करेगो–

(क) उपयुक्त एवं आयु सापेक्ष पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और अन्य सीखने–सिखाने की सामग्री का निर्माण।

(ख) सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण की रूपरेखा का विकास और

(ग) सत्त और व्यापक मूल्यांकन को व्यवहार में लाने हेतु दिशानिर्देशों का निर्माण

(3) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आंतरिक एवं बाह्य संस्थाओं के माध्यम से समग्र रूप से विद्यालययीय गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु रूपरेखा एवं प्रक्रिया तैयार करेगी।

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रदान करना

23 (1) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र विद्यालय स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के एक माह

के अन्दर निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा विहित प्रपत्र पर निर्गत किया जायेगा; परन्तु निजी संस्थाओं द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र पर उनको आबंटित मान्यता पंजीकरण संख्या भी स्पष्ट रूप से उनके द्वारा अंकित की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित प्रमाण पत्र द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि बच्चे ने नियम 22 के अन्तर्गत निर्धारित अध्ययन पूर्ण कर लिया है।

(3) प्रमाण पत्र में बच्चे का क्रमागत अभिलेख उल्लिखित होगा साथ ही निर्धारित अध्ययन के अतिरिक्त बच्चे की अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों का भी उल्लेख होगा यथा संगीत, नृत्य, साहित्य, खेलकूद व अन्य आदि।

भाग–आठ

बच्चों के अधिकार का संरक्षण

धारा–31 के प्रयोजन हेतु व्यवस्था के लिये

24 **(1)** जब तक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है, तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में दिनांक 30.9.2010 अथवा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की तिथि, जो भी पहले हो, तक शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जायेगाः–

(2) शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0इ0पी0ए0) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(अ) अध्यक्ष जो उच्च कोटि का प्रतिष्ठित विद्वान अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा जिसके द्वारा बाल अधिकार के उन्नयन हेतु उत्कृष्ट कार्य किया गया हो।

(ब) निम्नलिखित क्षेत्रों में ख्याति, योग्यता, सत्यनिष्ठा एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य, जिनमें एक महिला होगो–

(i) शिक्षा

(ii) बाल स्वास्थ्य देखभाल और बाल विकास

(iii) किशोर न्याय अथवा विकलांग बच्चों/वंचित और उपेक्षित बच्चों की देखभाल

(iv) बाल श्रम उन्मूलन अथवा दीन–हीन बच्चों के साथ कार्य

(v) बाल मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र

(vi) शैक्षिक अथवा प्रशासनिक प्रबंधन

(3) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2006 के नियम व शर्ते उसी रूप में शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0इ0पी0ए0) पर भी लागू होंगी।

(4) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तत्काल बाद शिक्षा अधिकार संरक्षण आयोग के सभी अभिलख और परिसम्पत्तियाँ उक्त आयोग को स्थानांतरित कर दी जायेगी।

(5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथा स्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अपने कार्यों के निर्वहन में राज्य सलाहकार परिषद द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर भी कार्यवाही कर सकत हैं।

(6) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में राज्य सरकार एक प्रकोष्ठ का गठन करेगी जो इन्हें अपने कार्यों में सहायता देने का काम करेंगी।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के सम्मुख शिकायतें प्रस्तुत करने की प्रकिया

25 (1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाल हेल्पलाइन स्थापित की जायेगी जो पत्र/दूरभाष/एस0एम0एस0 के माध्यम से सर्व सुलभ होगी तथा जिसके माध्यम से पीडित बच्चा/अभिभावक अधिनियम में विहित अधिकार के उल्लंघन के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता की पहचान अभिलिखित की जायेगी किन्तु उसे प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) बाल हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों का कियापरक, पारदर्शी अनुश्रवण ऑनलाइन किये जाने की व्यवस्था होगी।

(3) अधिनियम में विहित बच्चे के अधिकार के संबंध में पीडित किसी व्यक्ति द्वारा संबधित क्षेत्राधिकार के स्थानीय प्राधिकारी से शिकायत किये जाने पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भी शिकायत के संबंध में निर्णय लेते समय पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य किया जायेगा।

धारा 34 के प्रयोजन हेतु राज्य सलाहकार परिषद का गठन एवं कार्य

26 (1) राज्य सलाहकार परिषद में 14 सदस्य एव एक अध्यक्ष सम्मिलित होंगें।

(2) राज्य में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगें।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा एवं बाल विकास का ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों में से राज्य सरकार द्वारा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति निम्नवत् की जायेगीः–

(क) कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी एवं अल्पसंख्यक वग में से एक–एक होंगे।

(ख) एक सदस्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखता हो।

(ग) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखता हो।

(घ) दो सदस्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हों।

उपरोक्त में से 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होंगी।

(3) सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 परिषद का सदस्य संयोजक होगा। एवं निदेशक, बेसिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण तथा राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के पदेन सदस्य होंगे।

(4) बेसिक शिक्षा विभाग परिषद की बैठक एवं इसके अन्य कार्यों के लिए व्यवस्थागत सहयोग करेगा।

(5) परिषद के कार्य सम्पादन की प्रकिया निम्नवत् होगी।

(i) परिषद नियमित रूप स बैठक करेगी, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाये, परन्तु पिछली व आगामी बैठकों का अन्तराल 03 माह की अवधि से अनधिक होगा।

(ii) परिषद की बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायेगी। यदि किसी कारण से अध्यक्ष परिषद की बैठक मे प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं तो वह परिषद के किसी सदस्य का बैठक की अध्यक्षता हेतु नामांकित कर सकते हैं। कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में परिषद की बैठक का कोरम (गणपूर्ति) पूर्ण माना जायेगा।

(6) परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियम व शर्ते निम्नवत् होंगीः–

(अ) प्रत्येक सदस्य पदधारण की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी सदस्य दो बार से अधिक पद धारण नहीं कर सकेगा।

(ब) सिð दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता अथवा निम्नलिखित परिस्थितियों क आधार पर राज्य सरकार द्वारा किसी सदस्य को हटाया जा सकता हैः–

i. यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो, या

ii. कार्य करने से मना किया हो, या कार्य करने में अक्षम हो, या

iii. सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असंतुलित घोषित किया गया हो, या

iv. कार्यालय में बने रहने के लिए अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना जनहित में घातक हो, या

v. किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया हो, या

vi. परिषद को अनुमति प्राप्त किये बिना परिषद की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(स) कोई भी सदस्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना अपने पद से हटाया नहीं जायेगा।

(द) यदि त्यागपत्र, मृत्यु, अथवा अन्य कारणों से सदस्यों का कोई पद रिक्त होता है तो ऐसी रिक्ति उपनियम (2) के अनुसार रिक्ति की तिथि से 120 दिन के अंदर नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी

(य) परिषद के सदस्य सरकारी यात्रा हेतु यात्रा भत्ते और दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति हतु, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समितियों और आयोगों के अशासकीय सदस्यों हेतु और इसी श्रेणी के अन्य व्यक्तियों हेतु निर्गत आदेशों के अनुरूप, पात्र होंगें।

(7) राज्य सलाहकार परिषद अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावशाली रूप में अनुपालन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देगी।

धारा 13 (2), 18 (5) एवं 19 (5) के प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी

27 धारा 13 (2), 18 (5) एवं 19 (5) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के विरूद्व अभियोजन संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की पूर्व स्वीकृति से प्रारम्भ किया जा सकेगा।